ऑन लाईन नं. GCMS 2021/244

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 26/2021

श्री मदन लाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री बलवन्त राय पुत्र श्री किरोड़ीलाल , जाति जैन (विक्रेता मालिक)
मैसर्स :– कुल्फा एण्ड स्वीट्स अम्बोडकर चौंक,
निवासी :– गली नम्बर 06, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 03.03.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदनलाल राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 18.08.2011 व श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:एफएसएसए/2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभियान अवधि के लिए श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः एफएसएसए/2020/818 दिनांक 21.10.2020 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र आवंटीत किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री मदन लाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2020 को दोपहर बाद 2.50 पी.एम. पर फर्म मै. कुल्फा एण्ड स्वीट्स अम्बेडकर चौंक, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर बलवन्त राय पुत्र श्री किरोडीलाल जाति जैन जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक आम जनता को खाद्य पदार्थ **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** लगभग 5 किलोग्राम स्टील की टंकी में बेचने हेतु रखा हुआ था। विक्रेता से पुछने पर स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। विक्रेता से पता पुछने पर स्थायी निवासी गली नम्बर 06, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ मौके पर वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति पेश की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर उपस्थित गवाहान श्री मोन्टू चडा पुत्र श्री बृजमोहन चडा, निवासी सेतीया फार्म गली नम्बर10, श्रीगंगानगर व श्री सुरेश आसेरी ई. ओ. कर्मचारी कार्यालय रसद विभाग, श्रीगंगानगर के समक्ष विक्रेता श्री बलवन्त राय की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित में फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म में खाद्य पदार्थ **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** लगभग 5 किलोग्राम स्टील की टंकी में आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उपस्थित गवाहान के समक्ष श्री बलवन्त राय से उनके द्वारा विक्रय किये जा रहे **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** में से 2 किलोग्राम **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** खरीद किया जिसके पेटे 600/- रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे , गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। साथ ही विक्रेता को उसी समय फार्म नम्बर 5 ए पर जांच हेतु नमूमा संग्रह करने की लिखित सूचना देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे ,गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। फार्म नम्बर 5 मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये , जिस श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड एवं कमांक **के-1054** लिखा व अन्य विवरण अंकित कियागया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल 2 किलोग्राम **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** को चार भाग बराबर करके चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक बोतल को विक्रेता व गवाहों को दिखकर बोतलों में डालकर व फोर्मलिन की 40-40 बूंदे डालकर बोतलो को एयर टाइट सील बन्द किया गया। प्रत्येक प्लास्टिक बोलत पर गोंद से लेबल चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व कमांक के-1054 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर पेंदे से सिर तक लेकर सिर पर घुमाते हुए पेंदे तक लगाकर गोलाई में गोंद से चिपकाई। उक्त प्रकार से तैयार प्रत्येक नमूना बोतल को उपर नीचे व आजु बाजु धागे से बान्धकर नियमानुसार नीचे , उपर व दांये-बांये चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के-1054 मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता बलवन्त राय ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/114/एक्ट/2020/115 दिनांक 29.10.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1054 मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित) (Sub-Standard Food)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त बलवन्त राय पुत्र किरोडीमल निवासी गली नम्बर 06, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित) (Sub-Standard Food)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के परिसर से खाद्य वस्तु **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** का नमूना लिया गया था, जो कि बाद जांच **Sub-Standard Food** पाया गया है। अप्रार्थी एक रेहडी चलाने वाला व्यक्ति है जिससें अपनी आजिविका चलाता है तथा विधि से अनभिज्ञ है। आवेदक उक्त प्रकरण में लोक हित की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है व उक्त कृत्य की पसुनावृर्ति न करने हेतु पाबन्द रहेगा । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोकहित की भावना से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उक्त वाद निरस्त फरमाने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** का सैम्पल **के–1055** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/114/एक्ट/2020/115 दिनांक 29.10.2020 द्वारा सब (Sub-Standard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी के परिसर से खाद्य वस्तु **मिर्सी मावा (दूध व चीनी से निर्मित)** का नमूना लिया गया था, जो कि बाद जांच **Sub-Standard Food** पाया गया है। अप्रार्थी एक रेहडी चलाने वाला व्यक्ति है जिससें अपनी आजिविका चलाता है तथा विधि से अनभिज्ञ है। आवेदक उक्त प्रकरण में लोक हित की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है व उक्त कृत्य की पसुनावृर्ति न करने हेतु पाबन्द रहेगा । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोकहित की भावना से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उक्त वाद निरस्त फरमाने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mishri Mawa(Made by Milk and Sugar)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1054 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addivtive) Regulations, 2011. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त बलवन्त राय पुत्र श्री किरोडीमल – फर्म कुल्फा एण्ड स्वीट्स अम्बेडकर चौंक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त बलवन्त राय को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Mishri Mawa(Made by Milk and Sugar)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।